कार्यालय : नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा

पत्र संख्या : 711 /अ०न०आ०का०/न०नि०म०वृ०–मथुरा/2020–21. दिनांक : 15-12-2020

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

नगर निगम मथुरा–वृन्दावन द्वारा वृन्दावन क्षेत्र में कुम्भ मेला वर्ष 2020–21 के दृष्टिगत कुम्भ–मेला क्षेत्र की सफाई व्यवस्था हेतु 55 दिन के लिये 750 सफाई श्रमिकों की आपूर्ति हेतु ई–निविदा निम्नलिखित शिड्यूल के अनुसार आमंत्रित की जाती है। निविदा की नियम व शर्ते प्रक्योरमेन्ट की वेबसाइट http://etender-up-nic-in पर उपलब्ध हैं। निविदा प्रपत्र नगर निगम मथुरा–वृन्दावन की वेबसाइट **http://nnmvonline.in** पर भी देखा जा सकता है। निविदा सूचना समाचार पत्र में प्रकाशन होने के उपरान्त दिनांक 17.12.2020 को अपलोड की जायेगी। निविदा तकनीकी रूप से अर्ह होने पर ही वित्तीय प्रस्ताव खोला जायेगा। निविदा मूल्य की धनराशि कोटक महेन्द्रा बैंक मथुरा खाता संख्या–9812715225 आई०एफ०सी० कोड–**KKBK0000149** में आर०टी०जी०एस० के माध्यम से जमा कर रसीद की कॉपी स्कैन कर निविदा के साथ लगानी होगी, साथ ही निविदा के साथ आगणन धनराशि का 2 प्रतिशत अर्थात रू0– 323059.96/– एफ०डी० के रूप में अपलोड कराना अनिवार्य होगा, शेष आगणन राशि का 8 प्रतिशत रू0– 1292239.84/–अनुबन्ध निस्पादन के समय देना भी अनिवार्य होगा। उक्त जमानत राशि एफ०डी०आर०/ सी०डी०आर० के रूप में होगी, जो नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा–वृन्दावन के नाम बन्धक होगी। निविदा खोलने की तिथि में अवकाश होने पर निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम मथुरा–वृन्दावन में निहित होगा। निविदा से सम्बंधित अन्य नियम व शर्ते तथा विस्तृत विवरण ई–प्रक्योरमेन्ट की वेबसाइट http://etender-up-nic-in तथा नगर निगम मथुरा–वृन्दावन की वेबसाइट http://nnmvonline.in पर भी देखा जा सकता है।

कार्य का नाम

क्र० सं०	कार्य का नाम	संख्या	निविदा मूल्य रूपया	जमानत की धनराशि	कार्य अवधि
1	कुम्भ मेला वर्ष 2020–21 हेतु सफाई श्रमिकों की आपूर्ति।	750	5,000.00 + 18%GST=900.00 Total-5900.00	(आगणन धनराशि रू0– 1,61,52,998/– समस्त कर सहित) का 2 प्रतिशत निविदा के समय एवं 8 प्रतिशत अनुबन्ध सम्पादन के समय	55 दिन

S.No.	Schedule	Date	Time
1	Document Publish date	17-12-2020	02.00 PM
2	Document Sale Start date	17-12-2020	02.00 PM
3	Bid Submission Start date	17-12-2020	02.00 PM
4	Bid Submission end date	31-12-2020	02.00 PM
5	Technical Bid Opening date	01-01-2021	02.00 PM

अपर नगर आयुक्त/
नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, मथुरा–वृन्दावन

प्रतिलिपि:–

1. मा0 महापौर महोदय, नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा को सादर सूचनार्थ।
2. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. यूनिकॉम ऐड ऐजेन्सी को इस निर्देश के साथ कि, उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला एवं दैनिक जागरण में प्रकाशित कराते हुये, प्रकाशित अंक की दो प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

अपर नगर आयुक्त/
नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, मथुरा–वृन्दावन

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

कार्यालय : नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा

कुम्भ मेला वृन्दावन में सफाई व्यवस्था हेतु स्टीमेट

नगर निगम मथुरा वृन्दावन की सीमान्तर्गत वर्ष 2020–21 में लगने वाले कुम्भ मेला में सफाई व्यवस्था सुचारू रखे जाने हेतु 750 सफाई श्रमिकों का व्यय धनराशि का आकलन निम्नवत् हैः–

प्रतिदिन प्रति श्रमिक का कुल योगः–

क्र.	विवरण	कुल धनराशि रू0 में
01	एक सफाई श्रमिक का प्रतिदिन पारिश्रमिक मानदेय योग	336.85/–
02	कुल पारिश्रमिक धनराशि पर ई0पी0एफ0 रू0– 13.00 प्रतिशत	43.79/–
03	कुल पारिश्रमिक धनराशि पर ई0एस0आई0 रू0– 3.25 प्रतिशत	10.94/–
04	कुल धनराशि	391.58/–

एक सफाई श्रमिक का 55 दिनों का पारिश्रमिक मानदेय का कुल योग

क्र.	विवरण	कुल योग.
01	55 दिन का प्रतिव्यक्ति का योग	336.85×55 = 18526.75/-
02	कुल पारिश्रमिक धनराशि पर ई0पी0एफ0 रू0–13.00 प्रतिशत	18526.75×13% = 2408.47/-
03	कुल पारिश्रमिक धनराशि पर ई0एस0आई0 रू0–3.25 प्रतिशत	18526.75×3.25% = 602.11/-
04	कुल धनराशि	21537.33/–

55 दिनों का 750 श्रमिकों पर कुल व्यय धनराशि का योगः–21537.33×750= 1,61,52,998/-

आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार को सर्विस चार्ज अतिरिक्त देय होगा।

15.12.2020

मुख्य स्वच्छता निरीक्षक
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन
मथुरा

S.S. YADAV
ZONAL SANITARY OFFICER
NAGAR NIGAM MATHURA VRINDAVAN

एस० पी० मिश्रा
(अधिशासी अभियंता)
नगर निगम मथुरा वृन्दावन

नियम व शर्ते

निविदादाता को

-आयकर/जी0एस0टी0/ श्रम विभाग, ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 से सम्बंधित पंजीकरण प्रमाण-पत्र निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।

2-श्रम विभाग द्वारा वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम दर से कम दर की निविदा स्वीकार नही होगी।

3-बिना धरोहर धनराशि के निविदायें मान्य नही होगी।

4-निविदा स्वीकृति के उपरान्त कार्यादेश जारी होने पर सरकार द्वारा निर्धारित दर पर स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा। स्वीकृति श्रमिकों के पारिश्रमिक प्रतिमाह का 10 प्रतिशत जमानत की धनराशि सी०डी०आर०/एफ0डी0आर0, जो नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन के नाम प्लेज्ड होगी, देना होगा।

5-निविदादाता किसी कम्पनी/फर्म/एल.एल.पी में कम्पनी एक्ट 1956 या कम्पनी एक्ट-2013 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए अथवा पार्टनरशिप की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट-1932 या इण्डियन लिमिटेड लायबेलिटी पार्टनरशिप एक्ट-2008 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिसका प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6-संस्था यदि पार्टनरशिप फर्म है तो संस्था का पैनकार्ड तथा पार्टनरों का पैनकार्ड संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रोपराईटरशिप संस्था की दशा में प्रोपराईटर एवं संस्था दोनो के पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।

7-उपलब्ध कराये जाने वाले सफाई मजदूरों की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।

8-ऐसे निविदादाता जिसके द्वारा पूर्व में सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों में श्रमिकों की आपूर्ति की गयी होगी, प्रमाण/साक्ष्य प्रस्तुत करने पर उसे वरीयता दिये जाने पर विचार किया जा सकता है। 9-सफाई मजदूरों की संख्या आवश्यकतानुसार घटायी या बढ़ायी जा सकती है।

10-बिल नियमानुसार लागू आयकर/सरचार्ज कटौती के पश्चात् ही भुगतान किया जायेगा।

11-सफाई मजदूरों के सेवा कर एवं अन्य अंशदान जो नियमानुसार आवश्यक होगा, उसे नगर निगम द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा सेवा प्रदाता द्वारा उस अंशदान को सम्बंधित विभाग में जमा कर उसका प्रमाण-पत्र प्रतिमाह प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12-निविदादाता को श्रम विभाग के विभागीय नियमों एवं नगर विकास के शासनादेश का पालन करना होगा।

13-यदि निविदादाता द्वारा स्वीकृत सफाई श्रमिकों की संख्या के अनुरूप सफाई श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित नही की जाती है तो ऐसी स्थिति में फर्म पर सक्षम अधिकारी की अनुमति से अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा, जिसके लिये फर्म स्वयं जिम्मेदार होगा। अर्थदण्ड की कटौती सम्बंधित माह के बीजक से की जायेगी।

14-निविदा की दरों में स्पष्ट उल्लेख (अंकों एवं शब्दों में प्रतिदिन प्रति सफाई मजदूर) होने पर ही निविदा पर विचार किया जायेगा।

15-सेवा प्रदाता को समस्त सफाई मजदूरों का परिचय पत्र बनवाकर उन्हें उपलब्ध कराना होगा एवं कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सफाई मजदूर का नाम/पिता/पति का नाम, पता, आधार कार्ड, फोटोयुक्त आई0 कार्ड, ई०पी०एफ०/ई०एस०आई० नम्बर एवं स्थायी पते से सम्बंधित सूची नगर निगम में जमा करना आवश्यक होगा।

16-सफाई कार्य का समय 24 घण्टे प्रतिदिन (03 पाली) का होगा तथा नगर स्वास्थ्य अधिकारी/सफाई निरीक्षक द्वारा जो भी समय एवं स्थान निर्धारित किया जायेगा, वो मान्य होगा।

17-सफाई मजदूरों को निर्धारित वर्दी/सुरक्षात्मक उपकरण एवं अपने आई० कार्ड के साथ कार्य पर उपस्थित होना आवश्यक होगा।

18-विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी सफाई मजदूरों को करना होगा।

19-फर्म/सेवा प्रदाता को प्रतिदिन सफाई मजदूरों की हाजिरी मस्टर रोल पर सुनिश्चित करनी होगी।

20-सफाई क्षेत्र में सड़क एवं पटरी, नाले-नालियों की सफाई प्रतिदिन करनी होगी एवं निर्धारित स्थल पर कूड़े का निस्तारण भी करना होगा।

21-कार्य स्थल का निर्धारण समय-समय पर सम्बंधित मुख्य/सफाई निरीक्षक द्वारा किया जायेगा।

22-सफाई कार्य से सम्बंधित सुरक्षात्मक उपकरण एवं सफाई उपकरण नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

23-निविदादाता का कोई भी श्रमिक नगर निगम का श्रमिक नही माना जायेगा।

मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक नगर निगम मथुरा-वृन्दावन मथुरा	S.S. YADAV ZONAL SANITARY OFFICER NAGAR NIGAM MATHURA VRINDAVAN	अपर नगर आयुक्त नगर निगम मथुरा-वृन्दावन मथुरा

24–निविदादाता को चरित्र प्रमाण–पत्र जिलाधिकारी के स्तर से जारी जो 03 वर्ष से अधिक पुराना न हो, की छायाप्रति संलग्न करना होगा।

25–निविदादाता एवं उसके अधीन सफाई से सम्बंधित श्रमिकों के विवाद से नगर निगम का कोई भी सम्बंध नहीं होगा।

26–किसी भी विवाद के निस्तारण का परिक्षेत्र मथुरा के अधीन होगा।

27–सशर्त निविदायें मान्य नहीं होगी।

28–टेण्डर नोटिस अथवा उपरोक्त शर्तों को न मानने पर जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

29–फर्म को भारतवर्ष के किसी भी संस्था में ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए, इस आशय का शपथपत्र रू0. 10/– के स्टैम्प पेपर पर संलग्न निर्धारित प्रारूप पर निविदा के साथ देना होगा।

30–सफल निविदादाता को निविदा से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। ऐसी स्थिति में उसकी अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और दूसरे या तीसरे निविदादाता से कार्य लेने पर विचार किया जायेगा। निविदा अन्तिम रूप से अनुबन्धित होने पर किसी भी निविदादाता की अर्नेस्ट मनी वापस नही की जायेगी। अनुबन्ध की शर्तों को पूरा नही करने पर अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी।

31–केवल फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ही विभाग/कार्यालय के साथ पत्राचार कर सकेगा एवं निविदा के सम्बंध में सम्पर्क करने के लिये अधिकृत होगा।

32–नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह स्वीकृत निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्न परिस्थितियों में बदल सकते है/रद्द कर सकते है। निविदा निम्न परिस्थितियों में रद्द होने की दशा में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति पर विचार नही होगा:–

(क) यदि फर्म द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रक्रियाओं के अन्तर्गत कार्य करना नही पाया गया अथवा मानक के अनुसार कार्य नही किया गया।

(ख) यदि फर्म दीवालिया हो जाए।

(ग) यदि फर्म समय से कार्य पूर्ण करने में असफल रहती है।

(घ) यदि अन्य कोई विधिक बाध्यता इस प्रकृति की आ जाए कि शासन/नगर निगम निविदा को आगे न चला सके।

(ड) किसी प्रकार की अपराधिक प्रकृति के कार्य होने की स्थिति में।

33–फर्म के बीजक से नियमानुसार करों की कटौती की जायेगी।

34–नगर आयुक्त को निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।

35–किसी कार्मिक के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिये नगर निगम जिम्मेदार नहीं होगा। समस्त दायित्व/जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी।

15/12/2020

अपर नगर आयुक्त/
नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, मथुरा–वृन्दावन

CSI
15/12/2020

S.S. YADAV
ZONAL SANITARY OFFICER
NAGAR NIGAM MATHURA VRINDAVAN